

डॉक्टर पहले अपना इलाज़ तो कर लें!

गौतम अडानी आदि के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत करना व इन लोगों की गिरफ्तारी की मांग करना, अमेरिका की दादागिरी का सबूत है

-अंजन राय-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 22 नवम्बर। यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डी.ओ.जे.) द्वारा भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर लगाए गए भ्रष्टाचार व रिश्वत के अभियोग का महत्व जनता को पूरी तरह समझ नहीं आया है।

पूरे विश्व में आर्थिक व सामरिक मामलों में अपनी ही चलाने की अमेरिका की प्रवृत्ति को यहाँ समझना जरूरी है। यह, अमेरिका के महत्व का उसके प्रभाव से अधिक फैलाव है।

अमेरिका के कानून तंत्र ने एक अभियोग और गिरफ्तारी का वॉरंट जारी किया है, जो एक भारतीय नागरिक द्वारा भारत में कुछ परियोजनाओं के लिए किए गए कथित अपराध को लेकर है। याद रहे, यह एक ऐसे देश से आया है, जहाँ एक शीर्ष कानून प्रवर्तन अधिकारी, जिसे अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति ने चुना था, को सैक्स के लिए पैसे देने और नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने के आरोपों का सामना करना पड़ा था, जहाँ जीतने वाली रिपब्लिकन पार्टी ने, राष्ट्रपति चुनाव चुराए गए लोगों के जीवन के

पर, अमेरिका का यह कृत्य आधारहीन नहीं, अमेरिका के कानून की दृष्टि से। अमेरिका के शेयर बाजार से शेयर जारी कर पैसा इकट्ठा करने की एक शर्त है, कि शेयर जारी करने वाला अपनी कम्पनी के बारे में पूरी जानकारी जनता के समक्ष रखेगा, शेयर जारी करने से पहले।

अडानी ने इस शर्त का उल्लंघन किया है, क्योंकि, उसने अपनी कम्पनी के बारे में इस तथ्य को छुपाया, यानि उजागर नहीं किया कि अमेरिका के कानून मंत्रालय ने एक "इनक्वायरी" खोल रखी है।

अमेरिका के विधि मंत्रालय के अनुसार, जब तक कोई भी विदेशी कम्पनी अमेरिका के शेयर मार्केट में अपना शेयर नहीं बेचती, तब तक, उसने किस को कितनी रिश्वत दी, उससे अमेरिका के कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी सम्भालने वाले विभाग को कोई रूचि नहीं, पर जब उसने अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर बेचकर, पैसा इकट्ठा करने का प्रयास किया, तब अमेरिका के "कानून व्यवस्था" के नियम कायदे उस पर लागू हो जाते हैं।

अडानी ग्रुप की यह गलती उन्हें भारी पड़ेगी।

यह भी सच है, कि, अगर भारत ऐसा ही कानून अपने संसद में पारित कर लेता है, तो क्या, वह उस कानून की, अमेरिका में अवेहलना करने वाले अमेरिकी नागरिक के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर गिरफ्तारी की मांग कर सकता है?

बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने से इन्कार कर दिया था। एक ऐसे देश से नैतिकता के उपदेश

सुनना मुश्किल है। वैसे भी, भारत में जो भी रहा है वो अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, रिश्वत या कुछ और, चाहे वह भारतीयों और भारत देश के लिए कितना भी हानिकारक क्यों ना हो। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन कैसे जीता प्रदूषण के खिलाफ युद्ध

- जाल खंबाता -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 22 नवम्बर। भारत में जहरीली हवा ने दिल्ली वालों का दम घोट रखा है और यह चर्चा तक नहीं हो रही है कि दिल्ली को बचाने के लिए क्या किया जाए। वहीं बीजिंग को विश्व के टॉप टैन सर्वाधिक प्रदूषित शहरों के दायरे से निकालने के लिए चीन ने वर्ष 2013 में जंग छेड़ी थी और 100 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट शुरू किया था, और अब बीजिंग विश्व के प्रदूषित शहरों में नहीं है जबकि दिल्ली इसमें टॉप पर

एशिया के दो प्रमुख देश, चीन और भारत प्रदूषण से पीड़ित, पर चीन ने अपने लोगों को प्रदूषण से बचा लिया वहीं भारत बेवसी से सब देख रहा है, कहां कमी रह गई।

है।

जहरीली धुंध से भरा आकाश जिसमें कई दिनों तक सूरज के दर्शन नहीं होते हैं। स्कूल बंद हैं लोग खांस रहे हैं गले में जलन है। यह है 2024 की दिल्ली और कुछ ऐसा ही था 2013 का बीजिंग।

पूरे एक दशक से एशिया के इन दोनों बड़े देशों में भारी प्रदूषण झेला पर जहां चीन अपने नागरिकों को बचाने की कोशिश में जुट गया, वहीं भारत अपने लोगों को धीरे-धीरे मौत के करीब जाते हुए देख रहा है।

‘बुरे दिन बीते रे भैया, सावन आयो रे’

गहलोत ने अपने निवास पर कांग्रेस सेवा दल, महिला सेवादल व युवा सेवा दल के जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई, जिसमें टीकाराम जूली, संगठन सचिव ललित लूनवाल व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे

-नेपु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 नवम्बर। 20 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अपने निवास पर कांग्रेस सेवा दल, महिला सेवा दल और युवा सेवा दल के जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाने पर सवाल उठ रहे हैं। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी संगठन महासचिव ललित लूनवाल का भी सेवा दल के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंच पर उपस्थित रहना यह इंगित करता है कि प्रदेश कांग्रेस आज भी अशोक गहलोत के नियंत्रण में है। गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत की कठपुतली बनकर 25 सितंबर 2022 को तनोत्त चले गए थे, शायद वे आपसी समझ में इस बैठक से दूर रहे लेकिन गहलोत और डोटासरा इस तरह की बैठकों के जरिए आलाकमान को संदेश देना चाह रहे हैं कि वे अभी भी 25 सितंबर 2022 की तारीख पर खड़े हैं। कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर भविष्य में इस तरह से युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई के पदाधिकारियों की भी बैठकें अशोक गहलोत के घर

दूसरी ओर मुम्बई और कोंकण में सीनियर आर्बज्वर की भूमिका में गहलोत ने मुंबा देवी में एक सभा रखी थी, जिसमें मात्र दो सौ लोग थे, जबकि मंच पर गहलोत के साथ राजस्थान के नेता डोटासरा, जूली, जितेंद्र सिंह, रघु शर्मा आदि मौजूद थे।

जयपुर एयरपोर्ट पर जिस तरह से गहलोत अपने साथ धर्मंदर राठौड़ को ले गये, और राहुल गाँधी से हाथ मिलवाया, इससे साबित हो गया कि कांग्रेस राजस्थान के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है।

आयोजित हों या विधायकों की भी बैठकें उनके घर आयोजित हों।

अशोक गहलोत को अब आलाकमान से डर इसलिए भी नहीं लगता कि वे अपने जीवन की आखिरी पारी के लिए कुछ भी दांव पर लगा सकते हैं और डोटासरा उनके मुट्ठी में शायद इसलिए हो सकते हैं कि शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की बहुत सी कमजोरियों के प्रमाण अशोक गहलोत ने जुटा रखे हों।

मुंबई और कोंकण के सीनियर आर्बज्वर की भूमिका में अशोक गहलोत ने मुंबा देवी में एक सभा रखी

थी जिसमें मात्र दो सौ लोग थे जबकि मंच राजस्थान के जनाधार विहीन नेताओं गहलोत, डोटासरा, जूली, जितेंद्र सिंह, रघु शर्मा से भरा हुआ था।

एक कांग्रेसी नेता ने सवाल उठाया है कि महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चव्हाण, मध्यप्रदेश में कमलनाथ, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अगर इस तरह की बैठकें आयोजित करके आलाकमान के सामने ये दिखाए कि प्रयास करें कि कांग्रेस का संगठन उनके साथ है तो खुदों का क्या रख रहेगा या इन राज्यों के कांग्रेस प्रभारियों की क्या प्रतिक्रिया होगी। चूंकि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उदयपुर : रॉन्ग साइड जा रही कार की ट्रौले से टक्कर में 5 मरे

पांचों युवक जिस कार में थे, उसे 4-5 दिन पहले ही सैकण्ड हैण्ड खरीदा गया था

उदयपुर, 22 नवम्बर (कास)। शहर के सुखर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात को रॉन्ग साइड जा रही एक कार को सामने से तेज गति में आ रहे एक ट्रौले ने टक्कर मार दी, जिससे कार सवार पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सभी का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए। मृतकों में एक हैड कांस्टेबल का बेटा भी शामिल है। पांचों मृतक जिस कार में सवार थे, उस सैकंड हैंड कार को चार-पांच दिन पहले ही खरीदा था। पुलिस ने ट्रौले की जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत

सरकारी गवाह बन क्षमादान का कटारा का प्रार्थना पत्र खारिज

जयपुर, 22 नवंबर। एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आर.पी. एस.सी. के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा ने सरकारी गवाह बनकर क्षमादान चाहने की मंशा जताते हुए निचली अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया है, हालांकि अदालत ने कटारा के इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

आर.जी.एस.सी. के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा द्वारा पेपर लीक मामले में सरकारी गवाह बन कर क्षमादान प्राप्त करने के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र अति. सत्र न्यायालय ने खारिज किया।

अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी बी.एन. चंदेल ने प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि मामले में पूर्व में 67 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश हो चुका है। अदालत ने कहा कि कटारा को अन्य आरोपी रामराम राइका व अन्य के साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शिंदे फिर मुख्यमंत्री बनेंगे!

- जाल खंबाता -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 22 नवम्बर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम शनिवार को घोषित हो रहे हैं शिवसेना के एकनाथ शिंदे की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। समर्थक उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि भाजपा के देवेन्द्र फडनवीस की नजर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है।

शिंदे समर्थक यह दावा कर रहे हैं, पर देवेन्द्र फडनवीस की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है।

क्योंकि अगर महायुति गठबंधन जीता तो जीत का श्रेय भाजपा को जाता है। कांग्रेस नीत गठबंधन महाविकास अघाड़ी को भी अच्छे नतीजे की उम्मीद है क्योंकि ज्यादा वोटिंग हुई है। भाजपा का गठबंधन झारखंड में भी आगे बढ़ता दिख रहा है।

दिल्ली में स्कूल बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिभावक

अभिभावकों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सभी के पास वर्चुअल क्लास के लिए तकनीकी व्यवस्था नहीं है

खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए की। वर्तमान में दिल्ली एन. सी. आर. के स्कूल बंद हैं, कारण है भारी प्रदूषण तथा बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ रही है। बेंच दिल्ली में प्रदूषण के सम्बंध में केस की सुनवाई कर रही थी। खासकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और पंजाब में पराली जलाने के खिलाफ उठाए गए कदमों पर। शुक्रवार को वरिष्ठ वकील एम. गुरुस्वामी ने अभिभावकों के एक समूह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की उन्होंने कहा कि स्कूल बंद होने के पीछे यह धारणा है कि घरों के अंदर हवा साफ होती है। गुरुस्वामी ने कहा, हमारे पास वर्चुअल क्लास के लिए तकनीकी

अभिभावकों ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि स्कूल बंद करने के पीछे की यह सोच तर्क संगत नहीं है कि घरों में हवा शुद्ध है। अभिभावकों ने कहा कि सुबह सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, तो स्कूलों का समय 9 बजे से रखा जा सकता है। और प्रदूषण की स्थिति अति गंभीर हो तब दो सप्ताह के लिए स्कूल बंद किए जा सकते हैं। अभिभावकों ने कहा कि अदालत सरकार को निर्देश दे कि स्कूलों में एन-95 मास्क बंटवाए जाएं। यही नहीं, प्रदूषण की स्थिति में जिन बच्चों को अस्थमा (सांस की तकलीफ) है उनके लिए ऑनलाइन क्लास चलाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी सुझावों पर 2 दिसम्बर को विचार किया जाएगा।

सिस्टम नहीं है, हमें कोर्ट से मदद चाहिए। जब कोर्ट ने कामकाजी माता पिता की समस्याएं पूरे करने के लिए सुझाव मांगा तो गुरुस्वामी ने कहा, इस देश के गरीब लोग अपने बच्चों को पास के स्कूल भेज देंगे। लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना दवे ने कहा कि राज्य को इस चिंताओं के प्रति सहानुभूति है पर जी. आर. ए. पी. चतुर्थ लागू होने से बच्चे भी प्रभावित होंगे ही। इस पर वरिष्ठ वकील इसमें बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने वाली बसों का भी मसला है। इस पर गुरु स्वामी ने कहा, मुझे खेद सहित कहना पड़ रहा है कि इस देश के गरीब माता-पिता अपने बच्चों को बस से स्कूल नहीं

भेजते हैं इन्हें पास ही के स्कूल में पढ़ाते हैं।

कोर्ट ने कहा इस मसले 2 दिसंबर को विचार किया जाएगा। यह याचिका आठ अभिभावकों के समूह ने दायर है कि उनका तर्क है कि दिल्ली जी. सी. आर. के प्रदूषण का इलाज स्कूल बंद करना नहीं है। स्कूल बंद होने से बच्चों का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी छिन्ता है। याचिका कहती है कि बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूल का कोई अर्थ नहीं है, जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है या बहुत छोटे हैं बच्चे जो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास का कोई अर्थ नहीं है। ऑनलाइन क्लास स्कूल की भरपाई नहीं कर सकती है। याचिका में अभिभावकों ने निम्न आग्रह किए हैं। सरकार को स्कूलों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन्स जारी करनी चाहिए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एस.आई. भर्ती-2021 : हाईकोर्ट ने यथा स्थिति 10 दिसम्बर तक बढ़ाई

जयपुर, 22 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एस.आई. भर्ती-2021 पर गत 18 नवंबर को दिए यथास्थिति के आदेश को दस दिसंबर तक बढ़ा दिया है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार

अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा, हाईकोर्ट ने युवाओं के भविष्य से जुड़े मामले के कारण दो सप्ताह का समय दिया।

को जवाब पेश करने के लिए समय दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में कुछ ट्रेनी एस.आई. की भी पक्षकार बना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

